



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938

No. 273]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

**सा.का.नि. 429(अ).**—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 2016 है।  
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 के उपनियम (3) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु प्रवर्ग (ख) और प्रवर्ग (ग) के संबंध में यदि प्ररूप 2 में अभ्यावेदन सही पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी नोटेरी के रूप में सीधे व्यवसाय का प्रमाणपत्र साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्रदान करते हुए जारी कर सकेगा”।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु समुचित सरकार साक्षात्कार आयोजित करने की शर्त से कारणों को लेखबद्ध करते हुए अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी”।

4. नियम 8 में उपनियम (4क) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह भी कि संबंधित संघ राज्यक्षेत्र या राज्य से कोटा में वृद्धि का अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर निम्नलिखित मानदंड के अनुसार विचार किया जाएगा :--

- (क) यदि संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई है;
- (ख) यदि संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिलों या तहसील या तालुका में वृद्धि हुई है;”।

5. उक्त नियमों में, अनुसूची में, स्तंभ (1) में :--

- (i) ‘आंध्र प्रदेश’ से संबंधित क्रम सं. ‘1’ के सामने क्रमशः स्तंभ (2) में ‘575’ अंकों के स्थान पर ‘865’ अंक और स्तंभ (3) में ‘863’ अंकों के स्थान पर ‘1306’ अंक रखे जाएंगे;
- (ii) ‘विहार’ से संबंधित क्रम सं. ‘2’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘925’ अंकों के स्थान पर ‘1925’ अंक रखे जाएंगे;
- (iii) ‘गुजरात’ से संबंधित क्रम सं. ‘4’ के सामने, स्तंभ (2) में ‘1173’ अंकों के स्थान पर ‘1760’ अंक रखे जाएंगे;
- (iv) ‘केरल’ से संबंधित क्रम सं. ‘5’ के सामने, स्तंभ (2) में ‘704’ अंकों के स्थान पर ‘1000’ अंक रखे जाएंगे;
- (v) ‘मध्य प्रदेश’ से संबंधित क्रम सं. ‘6’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘1668’ अंकों के स्थान पर ‘2500’ अंक रखे जाएंगे;
- (vi) ‘तमिलनाडु’ से संबंधित क्रम सं. ‘7’ के सामने क्रमशः स्तंभ (2) में ‘907’ अंकों के स्थान पर ‘1360’ अंक और स्तंभ (3) में ‘1088’ अंकों के स्थान पर ‘2500’ अंक रखे जाएंगे;
- (vii) ‘महाराष्ट्र’ से संबंधित क्रम सं. ‘8’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘2463’ अंकों के स्थान पर ‘3700’ अंक रखे जाएंगे;
- (viii) ‘कर्नाटक’ से संबंधित क्रम सं. ‘9’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘844’ अंकों के स्थान पर ‘1266’ अंक रखे जाएंगे;
- (ix) ‘राजस्थान’ से संबंधित क्रम सं. ‘12’ के सामने क्रमशः स्तंभ (2) में ‘1000’ अंकों के स्थान पर ‘1500’ अंक और स्तंभ (3) में ‘1200’ अंकों के स्थान पर ‘2000’ अंक रखे जाएंगे;
- (x) ‘पश्चिमी बंगाल’ से संबंधित क्रम सं. ‘14’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘2625’ अंकों के स्थान पर ‘3625’ अंक रखे जाएंगे;
- (xi) ‘छत्तीसगढ़’ से संबंधित क्रम सं. ‘27’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘600’ अंकों के स्थान पर ‘1350’ अंक रखे जाएंगे;
- (xii) ‘दिल्ली’ से संबंधित क्रम सं. ‘29’ के सामने, स्तंभ (3) में ‘610’ अंकों के स्थान पर ‘1000’ अंक रखे जाएंगे;

[फा. सं. 15011/1/2015-एनसी]

जी.एस. यादव, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

**टिप्पणी** – मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.नि.आ. 324(अ), तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ) तारीख 8.7.1997, सा.का.नि. 547(अ) तारीख 31.8.1998, सा.का.नि. 17(अ) तारीख 5.1.2000, सा.का.नि. 262(अ) तारीख 28.3.2000, सा.का.नि. 630(अ) तारीख 21.7.2000, सा.का.नि. 172(अ) तारीख 21.3.2001, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 9.5.2001, सा.का.नि. 460(अ) तारीख 25.6.2001, सा.का.नि. 467(अ) तारीख 9.6.2003, सा.का.नि. 296(अ) तारीख 19.5.2006, सा.का.नि. 441(अ) तारीख 24.7.2006, सा.का.नि. 501(अ) तारीख 24.8.2006, सा.का.नि. 73(अ) तारीख 9.2.2007, सा.का.नि. 86(अ) तारीख 14.2.2007, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 8.5.2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ) तारीख 1.5.2007, सा.का.नि. 686(अ) तारीख 31.10.2007, सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23.1.2008, सा.का.नि. 636(अ) तारीख 3.9.2008, सा.का.नि. 764(अ) तारीख 13.11.2008, सा.का.नि. 114(अ) तारीख 24.2.2009, सा.का.नि. 700(अ) तारीख 24.9.2009, सा.का.नि. 843(अ) तारीख 25.11.2009, सा.का.नि. 808(अ) तारीख 14.11.2011, सा.का.नि. 49(अ) तारीख 25.1.2012, सा.का.नि. 632(अ) तारीख 14.8.2012, सा.का.नि. 662(अ) तारीख 31.8.2012 और सा.का.नि. 150(अ) तारीख 14.3.2014।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Department of Legal Affairs)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2016

**G.S.R. 429(E).**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :-

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2016.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Notaries Rules 1956, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 7, in sub-rule (3), after clause (e), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in respect of categories (b) and (c), if the memorial in Form II is found to be in order, the competent authority may issue certificate of practice as Notary directly by exempting appearance before the Interview Board”.

3. In the said rules, in rule 7A, after sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the appropriate Government may dispense with the condition of holding of interviews for which reasons are to be recorded in writing”.

4. In rule 8, in sub-rule, (4A) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-  
 “Provided also that in case, request for enhancement of quota is received from Union Territory or the State concerned, the same shall be considered as per the following criteria:-  
 (a) if there is an increase in the population of the concerned State or the Union Territory;  
 (b) if there is increase in the number of districts or tehsil or taluka of the concerned State or Union Territory ”.
5. In the said rules, in the Schedule, in column (1) :-  
 (i) against serial number ‘1’ relating to ‘Andhra Pradesh’, in column. (2), for the figures ‘575’, the figures ‘865’ and in column (3), for the figures ‘863’, the figures ‘1306, shall respectively be substituted;

- (ii) against serial number '2' relating to 'Bihar', in column (3), for the figures '925', the figures '1925' shall be substituted;
- (iii) against serial number '4' relating to Gujarat', in column (2), for the figures '1173', the figures '1760' shall be substituted;
- (iv) against serial number '5' relating to 'Kerala', in column (2), for the figures '704', the figures '1000' shall be substituted;
- (v) against serial number '6' relating to 'Madhya Pradesh', in column (3), for the figures '1688', the figures '2500' shall be substituted;
- (vi) against serial number '7' relating to 'Tamil Nadu', in column (2), for the figures '907', the figures '1360' and in column (3), for the figures '1088', the figures '2500' shall respectively be substituted;
- (vii) against serial number '8' relating to 'Maharashtra', in column (2), for the figures '2463', the figures '3700' shall be substituted;
- (viii) against serial number '9' relating to 'Karnataka', in column (2), for the figures '844', the figures '1266' shall be substituted;
- (ix) against serial number '12' relating to 'Rajasthan', in column (2), for the figures '1000', the figures '1500' and in column (3), for the figures '1200', the figures '2000' shall respectively be substituted;
- (x) against serial number '14' relating to West Bengal, in column (3), for the figures '2625', the figures '3625' shall be substituted;
- (xi) against serial number '27' relating to Chhattisgarh, in column (3), for the figures '600', the figures '1350' shall be substituted;
- (xii) against serial number '29' relating to Delhi, in column (2), for the figures '610', the figures '1000' shall be substituted.

[F. No. N-15011/1/2015-NC]

G. S. YADAV, Jt. Secy. and Legal Adviser

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and subsequently amended by G.S.R. 370 (E), dated 08.07.1997, G.S.R.547 (E), dated 31.8.1998, G.S.R.17 (E), dated 05.01.2000, G.S.R. 262 (E), dated 28.03.2000, G.S.R.630 (E), dated 21.07.2000, G.S.R.172 (E), dated 12.03.2001, G.S.R. 330 (E), dated 09.05.2001, G.S.R.460 (E), dated 25.06.2001, G.S.R.467 (E), dated 09.06.2003, G.S.R.296 (E), dated 19.05.2006, G.S.R.441 (E), dated 24.07.2006, G.S.R.501 (E) dated 24.08.2006, G.S.R.73 (E), dated 09.02.2007, G.S.R.86 (E), dated 14.02.2007, G.S.R.319 (E) dated 01.05.2007 read with G.S.R.330 (E) dated 08.05.2007, G.S.R.686 (E), dated 31.10.2007, G.S.R.51 (E), dated 23.01.2008, G.S.R.636 (E), dated 03.09.2008, G.S.R.764 (E) dated 03.11.2008, G.S.R.114 (E) dated 24.02.2009, G.S.R.700 (E) dated 24.09.2009, G.S.R.843 (E) dated 25.11.2009, G.S.R. 808(E), dated 14.11.2011, G.S.R 49(E) dated 25.01.2012, G.S.R 632 (E) dated 14.08.2012, G.S.R 662 (E) dated 31.08.2012 and G.S.R 150 (E) dated 04.03.2014.